[2021] 4 एस.सी.आर 407

प्रवत चंद्र मोहंती

बनाम

ओडिशा राज्य और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 125/2021)

11 फरवरी, 2021

[अशोक भूषण और अजय रस्तोगी, न्यायमूर्तिगण]

दंड संहिता, 1860: एस। 324 – खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से चोट पहुँचाना–दो पुलिस अधिकारी पुलिस स्टेशन के परिसर में पीड़ित को बेरहमी से पीटते हैं, जिसकी उसी रात मृत्यु हो गई–आरोपी यू/एस को दोषी ठहराया जाता है। 304 ( भाग II), एस। 471/466 , एस। 342 , एस। 323 और तदनुसार सजा सुनाई–उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया

यू/एस को विश्वास दिलाया। 304 ( भाग II) आर/डब्ल्यू एस। 34 और एस। 342/34 , और उनके दोषसिद्धि यू/एस को बरकरार रखा। 324/34 , एस। 323/34 और एस। 471/34 – इस न्यायालय के समक्ष अपील–अभियुक्त की प्रस्तुतियाँ जिन्हें यू/एस द्वारा दोषी ठहराया गया है। 324 बनो। इस न्यायालय यू/एस द्वारा चक्रवृद्धि। 320 ( 2 ) Cr.P.C। ; और यह कि अभियुक्त मृतक के परिवार को क्षतिपूर्ति देने के लिए तैयार हैं–आयोजितः मुखबिर, जो चश्मदीद गवाह भी था, के साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह मृतक का सहायक था–लकड़ी का लाठी और लाठी पुलिस बल के हथियार हैं और इन हथियारों से पीड़ित को हुई चोटों से मौत होने की संभावना थी–निचली अदालत ने निष्कर्ष दर्ज किए कि चोटों को दबाने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से, आरोपी द्वारा जांच रिपोर्ट में चोटों का विवरण कम किया गया था–इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा यू/एस द्वारा दोषसिद्धि। 324 टिकाऊ है, और बरकरार है–हालाँकि, जैसा कि अभियुक्त द्वारा प्रार्थना की गई है,

अपराध यू/एस। 324 न्यायालय द्वारा एस के प्रयोग में चक्रवृद्धि नहीं की जा सकती है। 320 ( 2 ) उप–धारा (5) के साथ पढ़ें 324 रुपये के मुआवजे के साथ एक साल के बजाय छह महीने तक कम कर दिया जाता है। उच्च न्यायालय–दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा दिए गए मुआवजे के अलावा मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी को 3.5 लाख रुपये दिए जाएंगे। 320 ( 2 ) और (5)–मुआवजे के गवाह।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: एस. 320 ( 2 ) और (5) यू/एस अपराध का चक्रवृद्धि। 324 आई. पी. सी.–अदालत की अनुमति

अनुमति–अभिनिर्धारित किया: अपराध यू/एस। 324 एस की उप–धारा (5) द्वारा यथा अनुध्यात अनुमति के न्यायालय अनुदान की अनुमति से ही चक्रवृद्धि की जा सकती है। 320 स्वचालित नहीं है और न ही यह अभियुक्त द्वारा अनुरोध की प्राप्ति पर यांत्रिक होना चाहिए जो अभियुक्त द्वारा सहमत किया जा सकता है।

पीड़ित या उसके कानूनी उत्तराधिकारी–सांविधिक आवश्यकता न्यायालय का यह स्पष्ट कर्तव्य बनाती है कि वह अपराध की प्रकृति और साक्ष्य को देखे और खुद को संतुष्ट करे कि अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं–

इसके अलावा, आपराधिक न्याय के प्रशासन के लिए राज्य द्वारा सभी अपराधियों पर मुकदमा चलाने की आवश्यकता होती है–ऐसे अपराध जो आम जनता को प्रभावित करते हैं और आम जनता में भय पैदा करते हैं, गंभीर अपराध हैं, अपराध की प्रकृति प्रासंगिक विचार हो सकती है।

न्यायालय द्वारा अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिए।

आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1.1 निचली अदालत के साथ–साथ उच्च न्यायालय के फैसले पर विचार किया गया है और

नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा मौखिक साक्ष्य का मिलान करने के साथ–साथ अभिलेख पर दस्तावेजी साक्ष्य का विश्लेषण जहां साक्ष्य हो।

पीडब्लू. 1 का, जो सूचना देने वाला और चश्मदीद गवाह था, निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर सही विश्वास किया गया कि मृतक और सूचना देने वाला दोनों शाम 7:30 बजे के बाद पुलिस स्टेशन पहुंचे।

और उन्हें अभियुक्तों द्वारा बेरहमी से पीटा गया। इसके बावजूद

पुलिस स्टेशन का दौरा करने वाले वैज्ञानिक अधिकारी ने पाया कि सुबह पुलिस स्टेशन का वरांडा सफाई करने वाले ने धोया था वरदाह में खून के धब्बे हैं। पीडब्लू. 1 के साक्ष्य को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता था क्योंकि वह

मृतक। लंबी प्रतिपरीक्षा में, पीडब्लू. 1 नहीं हो सका हिलाया और उसके खाते का सबूत दिया गया पिटाई का

पुलिस अधिकारियों द्वारा मृतक पर विश्वास किया जाना चाहिए और उन पर भरोसा किया जाना चाहिए। [ पारस 19 और 20] [420–जी–एच; 421–ए–सी]

1.2 अपीलार्थियों के वकील का जोर इस बात पर है कि केवल लाठी और लकड़ी के डंडे का उपयोग हथियारों के रूप में किया गया था

अपराध, जिसके हथियारों के उपयोग से मृत्यु होने की संभावना नहीं कही जा सकती है। MO.IV एक बांस की लाठी थी और Mo.VII एक लकड़ी की लाठी थी। आई. पी. सी. की धारा 324 में "प्रवत चंद्र मोहंती बनाम के हथियार" की जांच का उपयोग किया गया है।

अपराध "। लकड़ी की लाठी और लाठी वे हथियार हैं जो उपयोगी हैं।

पुलिस के पास है और निवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि चोट लकड़ी के लाठी और लाठी के कारण नहीं हो सकती है जो मृत्यु का कारण बन सकती है। यह लकड़ी के उपयोग के तरीके पर निर्भर करता है।

लाठी और लाठी। हथियारों को जब्त कर लिया गया और भौतिक वस्तुओं के रूप में प्रदर्शित किया गया। पीडब्लू. 1 को हथियार दिखाने में अभियोजन पक्ष की विफलता को किसी भी तरह से अभियोजन मामले के

लिए घातक नहीं कहा जा सकता है। लकड़ी की लाठी और लाठी पुलिस बल के हथियार हैं और इन हथियारों से मृतक को होने वाली चोटें निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा पाया गया है, गैर–दिखाने के लिए

पीडब्लू. 1 पीडब्लू. 1 के साक्ष्य की विश्वसनीयता पर महाभियोग नहीं चला सकता है। [ पैरा 22 और 23] [421–एफ–एच; 422–ए–सी]

1.3 निचली अदालत ने जांच रिपोर्ट पर भी दोषी ठहराया है

2.1 तत्काल मामले में, आरोपी को पहले ही आईपीसी की धारा 324 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जा चुका है। Cr.P.C द्वारा। (संशोधन) अधिनियम, 2005 , आईपीसी की धारा 324 के तहत अपराध को गैर–शमनीय अपराध बना दिया गया है। उपरोक्त संशोधन से पहले, धारा 324 के तहत अपराध शमनीय था। यह निवेदन कि जिस तारीख को अपराध किया गया था, यानी 04/05.05.1985, आई. पी. सी. की धारा 324 के तहत अपराध शमनीय था, स्वीकार किया जाता है।

[ पैरा 28] [423–एफ–एच]

2.2 तत्काल मामले के तथ्यों में धारा 324 के तहत अपराध को केवल अदालत की अनुमति से ही बढ़ाया जा सकता है। उप.

धारा 320 की धारा (5) में प्रावधान है कि "न्यायालय की अनुमति के बिना अपराध के लिए किसी भी संयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी"। इस प्रकार, तत्काल मामले के तथ्यों में अपराध की संरचना केवल अपीलार्थी के अनुरोध पर समझौते पर अनुमत नहीं है जिसे [2021] 4 एस. सी. आर. के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा भी स्वीकार किया जा सकता है।

मृतक लेकिन रचना की अनुमति केवल न्यायालय की अनुमति से दी जाती है। [ पैरा 29] [424–बी–सी]

2.3 धारा 320 की उप–धारा (5) द्वारा अनुध्यात अवकाश का अनुदान स्वचालित नहीं है और न ही इसे स्वतः ही दिया जाना चाहिए।

अपीलार्थी द्वारा अनुरोध की प्राप्ति जो पीड़ित द्वारा स्वीकार की जा सकती है। वैधानिक आवश्यकता, न्यायालय का यह स्पष्ट कर्तव्य बनाती है कि वह अपराध की प्रकृति और साक्ष्य पर गौर करे और खुद को संतुष्ट करे कि अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। आपराधिक न्याय के प्रशासन की आवश्यकता है राज्य द्वारा सभी अपराधियों पर मुकदमा चलाया जाना। राज्य द्वारा अभियोजन कानून की नीति है क्योंकि सभी अपराध समाज के खिलाफ हैं। समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों को अदालतों में लाना पड़ता है और अपने अपराधों के लिए दंडित करना पड़ता है। अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि कोई भी अपराधी अपराध के लिए दंडित किए बिना रिहा न हो जाए। यह भी स्थिर है

कानून का सिद्धांत कि निर्दोष को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। [ पैरा 30 और 31] [424–सी–एफ]

2.4 अपराध की प्रकृति और समाज पर इसका प्रभाव न्यायालय द्वारा अनुमति देते समय प्रासंगिक विचार हैं।

अपराध को बढ़ाना। सामान्य रूप से जनता को प्रभावित करने वाले और सामान्य रूप से जनता में भय पैदा करने वाले अपराध गंभीर अपराध हैं, जिनकी प्रकृति का अपराध अदालत के लिए छुट्टी देने या अस्वीकार करने के लिए प्रासंगिक विचार हो सकता है। अभिलेख पर साक्ष्य को एकत्र करने के बाद निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को देखते हुए, यह स्थापित होता है कि दोनों अभियुक्तों ने पुलिस स्टेशन के परिसर में मृतक को बेरहमी से पीटा है। अभियुक्त द्वारा मृतक के शरीर पर ग्यारह चोटें लगायी गयीं। पीडब्लू–1 के साक्ष्य के अनुसार, जिसे नीचे की अदालतों द्वारा माना गया है, पीड़ित को इतनी बेरहमी से पीटा गया था कि वह शौच, पेशाब से गुजर गया और खून बहने लगा। [ पैरा 32] [424–एफ–एच; 425–ए]

प्रांतीय सरकार, मध्य प्रांत और बरार बनाम बिपिन सिंह चौधरी आकाशवाणी (1945) नागपुर, अवध,

पेशावर और सिंध 104–स्वीकृत

2.5 तत्काल मामले में, अपराध पुलिस स्टेशन, पुरीघाट के प्रभारी के साथ–साथ वरिष्ठ प्रवत चंद्र मोहंती बनाम द्वारा किया गया था।

कानून और व्यवस्था का रक्षक है। लोग अपने जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए पुलिस की प्रतीक्षा करते हैं। लोग इस उम्मीद के साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं कि उनके व्यक्ति और संपत्ति को नुकसान होगा। पुलिस द्वारा संरक्षित और उन पर किए गए अन्याय और अपराध का निवारण किया जाएगा और दोषियों को दंडित किया जाएगा। जब लोगों और स्वयं समाज का रक्षक लोगों की रक्षा करने के बजाय क्रूरता को अपनाता है और थाने में आने वाले व्यक्ति को अमानवीय रूप से पीटता है, तो यह बहुत बड़ी सार्वजनिक चिंता का विषय है। पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति की पिटाई सभी के लिए चिंता का विषय है और

यह पूरे समाज में भय की भावना पैदा करता है। [ पैरा 36] [426–बी–डी]

2.6 वर्तमान एक ऐसा मामला है जहां इस न्यायालय को आई. पी. सी. की धारा 324 के तहत अपराधों को बढ़ाने के लिए अनुमति नहीं देनी है जैसा कि अनुरोध किया गया है। अपीलार्थियों के वकील द्वारा। वर्तमान में एक ऐसा मामला है जिसमें आरोपी जो पुलिस अधिकारी थे, उनमें से एक थाना प्रभारी और अन्य वरिष्ठ निरीक्षक ने खुद को बेरहमी से पेश किया है

मृतक को पीटा, जिसकी उसी रात मृत्यु हो गई। उनके अपराध उप–धारा (5) के साथ पठित धारा 320 (2) के प्रयोग में न्यायालय द्वारा चक्रवृद्धि नहीं की जा सकती है। अपराध को बढ़ाने के लिए अपीलार्थियों की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया जाता है। [ पैरा 38] [427–ए–सी]

यशवंत और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (2019)

18 एस. सी. सी. 571 पर भरोसा किया।

3.1 इस न्यायालय ने अपीलार्थियों के वकील के इस निवेदन पर ध्यान दिया कि वे उनके परिवार को क्षतिपूर्ति देने के लिए तैयार हैं। मृतक। अदालत ने उक्त बयान को ध्यान में रखते हुए मामले में नोटिस जारी किया था। अपीलकर्ताओं ने भी जमा किया है

3.2 मृतक पर हिरासत में की गई हिंसा जिसके कारण उसकी मौत हुई, घृणित है और सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध न केवल मृतक के खिलाफ अपराध है, बल्कि यह मानवता के खिलाफ और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। हालांकि उच्च न्यायालय ने मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों के पक्ष में 3 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। द. दिया गया मुआवजा पर्याप्त नहीं था। [ पैरा 40] [427–डी–ई] [2021] 4 एस. सी. आर.

3.3 इन तथ्यों को देखते हुए कि दोनों अपीलार्थी अधिक हैं

अब 75 वर्ष की आयु से अधिक, आई. पी. सी. की धारा 324 के तहत दोषसिद्धि के लिए दी गई सजा को कम करने में न्याय के उद्देश्यों को पूरा किया जाना चाहिए।

एक साल के बजाय छह महीने। इसके अतिरिक्त मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को उस मुआवजे द्वारा मुआवजा दिया जा सकता है जो अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में दिया गया है और जमा किया गया है। इस प्रकार, एक साल की सजा को घटाकर छह महीने कर दिया जाता है। प्रत्येक के कानूनी उत्तराधिकारी को 3.5 लाख रुपये उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे के अलावा मृतक। इस न्यायालय में जमा किया गया मुआवजा निचली अदालत को भेजा जाएगा जो मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को वही भुगतान कर सकता है। [ पैरा 43] [428–जी–एच; 429–ए–बी]

गुलाब दास और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य

( 2011 ) 10 एससीसी 765: [ 2011 ] 13 एस. सी. आर. 177; ईश्वर सिंह

बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2008) 15 एससीसी 667:

[ 2008 ] 14 एस. सी. आर. 574–संदर्भित।

| | मामला कानून संदर्भ | |
|---|---|---|
| ए आई आर (1945) नागपुर, अवध, | पैरा 35 | मंजूरी मिल गई |
| ( 2019 ) 18 एस. सी. सी. 571 | पैरा 38 | पर भरोसा करें |
| [ 2011 ] 13 एससीआर 177 | पैरा 41 | संदर्भित किया गया है |
| [ 2008 ] 14 एससीआर 574 | पैरा 42 | संदर्भित किया गया है |

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं 125 2021 से।

उच्च न्यायालय के 09.11.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

1988 की आपराधिक अपील सं. 207 में कटक में उड़ीसा का।

के साथ

2021 की आपराधिक अपील संख्या 126

बसंत आर., यासोबंत दास, वरिष्ठ अधिवक्ता। , केदार नाथ त्रिपाठी एड.

अपीलार्थी के लिए।

रवि प्रकाश मेहरोत्रा, अंकित अग्रवाल, सुश्री प्रियंका वोरा,

सिद्धांत बक्सी, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण, जे।

1. अनुमति प्रदान की

2. अभियुक्तों द्वारा ये दो अपीलें उड़ीसा उच्च न्यायालय के दिनांक 09.11.2020 खारिज करने के सामान्य फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं।

आपराधिक अपील सं। 207 और अपीलार्थियों द्वारा दायर 1988 का 210। 1985 के लाल बाग में अभियुक्त होने के नाते दोनों अपीलार्थियों पर आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 304, 342, 323, 294, 201, 167, 477–ए, 471 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 1985 के सत्र परीक्षण में मुकदमा चलाया गया था। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने दोषी ठहराया

आरोपी प्रताप कुमार चौधरी को आई. पी. सी. की धारा 304 (भाग II) के तहत आठ साल के लिए आर. आई. से गुजरना होगा और आरोपी प्रवत चंद्र मोहंती को धारा 304 (भाग II) के तहत पांच साल के लिए आर. आई. से गुजरना होगा। दोनों अभियुक्तों को आई. पी. सी. की धारा 471 और आई. पी. सी. की धारा 466 के तहत तीन साल के लिए आर. आई. और आई. पी. सी. की धारा 342 के तहत तीन महीने के लिए आर. आई. और आई. पी. सी. की धारा 323 के तहत एक महीने के लिए आर. आई. की सजा सुनाई गई।

3. निचली अदालत के फैसले से नाराज अपीलकर्ताओं, प्रवत चंद्र मोहंती (इसके बाद "मोहंती" के रूप में संदर्भित) ने 1988 की आपराधिक अपील दायर की और प्रताप कुमार चौधरी ने

( इसके बाद "चौधरी" के रूप में संदर्भित) ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष 1988 की आपराधिक अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले और दिनांक 09.11.2020 के आदेश द्वारा दोनों अपीलों का फैसला किया, जिसमें आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति दी गई थी। आई. पी. सी. की धारा 34 और आई. पी. सी. की धारा <आई. डी. 1 के साथ पठित आई. पी. सी. की धारा 304 (भाग II) के तहत दोनों अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को दरकिनार कर दिया गया और आई. पी. सी. की धारा 323/34 और 471/34 आई. पी. सी. के तहत उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया। उच्च न्यायालय ने दोनों अपीलार्थियों को आई. पी. सी. की धारा 324/34 के तहत दोषी ठहराया। आई. पी. सी. की धारा 323/34 के तहत एक महीने के लिए साधारण कारावास लगाया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा आई. पी. सी.

की धारा 471/34 के तहत अपराध के लिए तीन महीने का साधारण कारावास और आई. पी. सी. की धारा 324/34 के तहत अपराध के लिए एक साल का साधारण कारावास लगाया गया था। सभी सजाएं एक साथ चलनी थीं। उपरोक्त निर्णय से व्यथित होकर ये अपीलें दायर की गई हैं।

4. जब इन अपीलों को इस न्यायालय द्वारा 17.12.2020 पर लिया गया था, तो अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने अपनी दलीलों को सीमित कर दिया केवल आई. पी. सी. की धारा 324 के तहत दोषसिद्धि। अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने आगे स्वेच्छा से कहा कि अपीलार्थी [2021] 4 एस. सी. आर. की क्षतिपूर्ति करने के लिए तैयार हैं।

मृतक का परिवार। इस न्यायालय द्वारा 17.12.2020 पर निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

" याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ वकील आई. पी. सी. की धारा 324 के तहत दोषसिद्धि के लिए अपनी दलीलों को इस आधार पर सीमित करते हैं कि जो इस्तेमाल किया गया था वह एक लाठी थी। वह स्वेच्छा से कहता है कि याचिकाकर्ता मृतक के परिवार को मुआवजा देने के लिए तैयार हैं और वह वे अब अपने मध्य 70 के दशक में हैं। अदालत के एक प्रश्न पर विद्वान वकील रुपये जमा करने की पेशकश करते हैं और सहमत होते हैं। दोनों के लिए साढ़े तीन लाख

याचिकाकर्ताओं में से प्रत्येक को तीन सप्ताह के भीतर इस न्यायालय में मुआवजे के रूप में कुल 7 लाख रुपये दिए जाएंगे ताकि परिवार को स्वीकार्य कुल मुआवजा 10 लाख रुपये हो। 3 मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को दिए गए लाख

राज्य सरकार ने भुगतान किया होगा।

एसएलपी के साथ–साथ शीतकालीन अवकाश के बाद पहले विविध सप्ताह में वापसी योग्य अंतरिम जमानत पर नोटिस जारी करें।

हम कानूनी प्रतिनिधियों को शामिल करना उचित समझते हैं

उत्तरदाताओं के रूप में मृतक।

पक्षकारों का संशोधित ज्ञापन दाखिल किया जाए।

उक्त उत्तरदाताओं को भी नोटिस जारी किया जाए। दस्ती इसके अलावा राज्य के स्थायी वकील के माध्यम से और

मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी व्यक्तिगत रूप से "।

5. इन अपीलों में मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों को शामिल किया गया और वे इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। उस पर 08.01.2021 निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

" आक्षेपित के सी/सी दाखिल करने से छूट के लिए आवेदन

निर्णय और आधिकारिक अनुवाद की अनुमति है।

मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए विद्वान वकील ने वकील के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की है और 17.12.2020 पर याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा किए गए प्रस्ताव से सहमत हैं जो

हमारे द्वारा दर्ज किया गया था।

राज्य के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि उन्होंने अभी–अभी उपस्थिति दर्ज की है और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक छोटा आवास दिया जा सकता है निर्देश दें और आवश्यक प्रस्तुतियाँ दें।

13.01.2021 पर सूची बनाएँ।

उनके द्वारा सुझाए गए कदम के बारे में "।
6. इसके बाद, इस न्यायालय द्वारा 04.02.2021 पर अपीलों की सुनवाई की गई।

हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री आर. बसंत और विद्वान वरिष्ठ वकील श्री यशोबंत दास को सुना है। श्री रवि प्रकाश मेहरोत्रा ओडिशा राज्य की ओर से पेश हुए और सुश्री प्रियंका वोरा मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों की ओर से पेश हुईं। 7. श्री बसंत, विद्वान वरिष्ठ वकील, प्रस्तुत करते हैं कि इस न्यायालय के दिनांक 17.12.2020 के आदेश के अनुसरण में, अपीलकर्ता पहले ही कर चुके हैं

रुपये की राशि जमा की। प्रत्येक न्यायालय की रजिस्ट्री में साढ़े तीन लाख। वह कानूनी प्रतिनिधियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान वकील को प्रस्तुत करता है।

जिन्हें बाद में गैर–यौगिक बनाया गया है। वे प्रस्तुत करते हैं कि दोनों अपीलार्थी अब 75 वर्ष से अधिक आयु के हैं। और इस न्यायालय के दिनांक 1 के आदेश के तहत कार्य करते हुए, अपीलकर्ताओं ने कानूनी उत्तराधिकारियों को भुगतान किए जाने वाले मुआवजे के लिए राशि जमा की है, अपराधों को चक्रवृद्धि किया जाना चाहिए।

9. उपरोक्त निवेदन के अलावा, अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया है कि आई. पी. सी. की धारा 324 के तहत दोषसिद्धि

उच्च न्यायालय अस्थिर है। वह प्रस्तुत करता है कि आई. पी. सी. की धारा 324 के तहत दोषसिद्धि को आई. पी. सी. की धारा 323 के तहत दोषसिद्धि में परिवर्तित किया जाना चाहिए। वह प्रस्तुत करता है कि आई. पी. सी. की धारा 324 के तत्व रिकॉर्ड में लाए गए साक्ष्य से नहीं बने हैं। वह प्रस्तुत करता है कि मृतक के शरीर पर पाए गए सभी घाव साधारण चोटें थीं। वह प्रस्तुत करता है कि अपराध का हथियार केवल एक लकड़ी का बल्ला/लाठी है जिसके कारण मृत्यु होने की संभावना नहीं थी, इसलिए, धारा 324 के तहत दोषसिद्धि अनुचित थी। वह आगे तर्क देता है कि या तो अपराध को आई. पी. सी. की धारा 323 के तहत परिवर्तित किया जाए या कारावास के स्थान पर जुर्माना लगाया जाए।

10. श्री बसंत आगे प्रस्तुत करते हैं कि अपराध के कथित हथियार,

अर्थात्, परीक्षण के दौरान पी. डब्ल्यू. 1 को MO.IV और MO.VII नहीं दिखाए गए थे पहचान। विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि सामग्री [2021] 4 एस. सी. आर. थी।

पीडब्लू. 1–कुसिया नाइक के बयान में विरोधाभास, इसलिए उनके साक्ष्य को खारिज किया जाना चाहिए। वह प्रस्तुत करता है कि उच्च न्यायालय ने स्वयं पीडब्लू. 1 के बयान को केवल आंशिक रूप से विश्वसनीय पाया है। हालाँकि, श्री बसंत ने निष्पक्ष रूप से कहा कि आई. पी. सी. की धारा 471 के तहत दोषसिद्धि की मांग नहीं की गई है। यौगिक जो गैर–यौगिक है। विद्वान वकील ने आई. पी. सी. की धारा 471/34 के तहत दोषसिद्धि को चुनौती नहीं दी है और केवल आई. पी. सी. की धारा 324 के तहत दोषसिद्धि के संबंध में अपनी प्रस्तुति को सीमित किया है।

11. ओडिशा राज्य के विद्वान वकील, श्री मेहरोत्रा ने राज्य की ओर से दायर हलफनामे का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित मुआवजे की राशि के संबंध में, राज्य सरकार ने आवश्यक प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूरा कर लिया है और उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित मुआवजे की राशि को कानूनी प्रतिनिधियों को उस तरीके और तरीके से जमा या दे देगी जैसा कि यह न्यायालय कृपया निर्देश देगा।

13. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।
14. उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में फैसले के पैराग्राफ 2 में अभियोजन पक्ष के मामले पर ध्यान दिया है। उच्च न्यायालय का अनुच्छेद 2

फैसला इस प्रकार हैः

डी. एस. पी., सिटी, कटक (एस) से पहले ए. एम. यह है कि सूचना देने वाला कटक के राजाबागिचा के बिष्णु मोहंती के किराए के घर में रह रहा था। 02.05.1985 पर वह इस संबंध में नयागढ़ गए थे। अपने भतीजे की शादी के
साथ और 04.05.1985 की सुबह कटक घर लौट आया। पहुंचने के बाद, उन्हें उनकी पत्नी कंचन देई (P.W.18) ने सूचित किया कि शुक्रवार को उनके बस्ती निवासियों सुरा और बैंशी के बीच झगड़ा हुआ था। वह बाजार गया और शाम को लगभग 4 बजे लौटा जब उसकी पत्नी ने उसे बताया कि प्रमोद नाइक, बेनू नाइक और गुना नाइक उसे गंदी भाषा में गाली दे रहे थे और उसे अपने परिवार के सदस्यों को बाहर निकालने के लिए कह रहे थे क्योंकि उनके पास कोई घर नहीं था और न ही उनके पास कोई संपत्ति थी। मुखबिर को उसकी पत्नी ने यह भी बताया कि पुरीघाट पुलिस स्टेशन के 4 थाना बाबू अवत चंद्र मोहंती

उसे पुलिस स्टेशन जाने के लिए बुलाया था। कुछ समय बाद, काशीनाथ नाइक (इसके बाद 'मृतक') ने भी मुखबिर को बताया कि सिपाही आया था और उसे इस संबंध में बताया था। तदनुसार, मुखबिर और मृतक दोनों ने पुरीघाट जाने का फैसला किया

पुलिस स्टेशन। शाम के समय, जब वे दोनों पुरीघाट पुलिस स्टेशन पहुंचे, तो मूंछ वाले एक पुलिस अधिकारी ने मृतक से कहा कि अगली बार वह मृतक के बेटे पर हमला करके उसके हाथ और पैर तोड़ देगा क्योंकि बाद में उसके खिलाफ कानूनी सहायता के समक्ष मामला दर्ज किया गया था। मृतक चुप रहा। उक्त पुलिस अधिकारी ने मृतक के खिलाफ अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया और कहा कि वह कटक के अलीशा बाजार का रहने वाला है और वह मृतक के परिवार को कटक में नहीं रहने देगा और कोई भी वकील उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। मृतक ने उक्त पुलिस अधिकारी को जवाब दिया कि हमला होने पर उसकी पत्नी और बेटे ने कानूनी सहायता के समक्ष मामला दर्ज कराया था और उसे इस संबंध में कुछ भी पता नहीं था।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि उक्त पुलिस

फूले हुए थे। मृतक कह रहा था कि वह बच नहीं पाएगा और मर जाएगा। जब मृतक ने उपस्थित होने की अनुमति मांगी प्रकृति की पुकार पर पुलिस अधिकारी ने मूंछें और अपीलकर्ता प्रवत मोहंती के साथ उस पर हमला किया। जब मृतक ने फिर से प्रकृति के आह्वान में भाग लेने का अनुरोध किया, तो पुलिस अधिकारी की अनुमति से, सूचना देने वाला उसे इस उद्देश्य के लिए ले गया और उनके लौटकर, अपीलार्थी प्रवत मोहंती ने मृतक से पूछा कि वह लंगड़ा क्यों हो रहा है। मृतक को खाने के लिए रोटी दी गई थी, लेकिन जब उसने मना कर दिया, तो अपीलकर्ता प्रवत मोहंती ने उसे रोटी लेने के लिए मजबूर किया और उसके घुटने पर हमला कर दिया। सिपाही से संकेत मिलने पर, मुखबिर ने रोटी छुपाई और पुलिस अधिकारी को बताया कि मृतक पहले ही रोटी ले चुका था। उक्त पुलिस अधिकारी एक बोतल में शराब लेकर आया और उसे मृतक के साथ–साथ मुखबिर के मुंह में डाल दिया और फिर उन पर शराब छिड़की और पुलिस स्टेशन से बाहर चला गया। सूरा नाइक (P.W.13) जो मुखबिर की बस्ती से था, पुलिस स्टेशन आया और एक मिश्रा बाबू से गुप्त रूप से बात की, लेकिन मृतक और मुखबिर को देखकर वह चला गया। तब अपीलार्थी प्रवत मोहंती ने मृतक पर फिर से हमला किया और उसे अस्पताल जाने के लिए एक वाहन में बैठने के लिए कहा। उस समय रात के 11 से 12 बज रहे थे। अपीलार्थी, एक चालक और एक सिपाही, प्रवत मोहंती ने मृतक को उठाया और उसे वाहन के अंदर रख दिया और वह रो रहा था कि वह बच नहीं पाएगा। जब सूचना देने वाले ने अपनी उत्सुकता व्यक्त की

मृतक के साथ अस्पताल गए, उन्हें बताया गया कि वहाँ मृतक के साथ जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, भले ही मृतक सूचना देने वाले को अपने साथ आने के लिए बुला रहा था। मृतक को पुलिस स्टेशन से ले जाने के बाद, एक कांस्टेबल ने सूचना देने वाले के बाएं पैर को पुलिस स्टेशन की मेज पर जंजीरों से बांध दिया और सुबह के समय, सूचना देने वाले को अपीलकर्ता प्रवत मोहंती के निर्देश के अनुसार खोल दिया गया। एक सफाईकर्मी था

पुलिस स्टेशन में बुलाया गया और उसे 7 मृतक का खून और स्टूल साफ करने के लिए कहा गया जो पुलिस स्टेशन के अंदर अलग–अलग स्थानों पर पड़ा था। उस समय मुखबिर को पता चला कि मृतक की कल रात अस्पताल में मौत हो गई थी। मृतक की विधवा भी रोते हुए पुलिस थाने आई थी, लेकिन हवालदार ने उसे वहां रहने नहीं दिया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि मूंछ वाला पुलिस अधिकारी एक गोरा और लंबा व्यक्ति था।

इस तरह की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर, अपीलार्थी प्रवत मोहंती और पुरीघाट पुलिस स्टेशन के अन्य पुलिस अधिकारी के खिलाफ सुबह 11 बजे भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 242, 342, 323, 294, 201 के तहत 1985 का पुरीघाट/लालबाग पी. एस. मामला दर्ज किया गया। प्रवत चंद्र मोहंती बनाम।

15. मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने 39 गवाहों से पूछताछ की है, यानी पीडब्लू. 1 से PW.39 तक। पीडब्लू. 1, कुसिया नाइक, सूचना देने वाली, चश्मदीद गवाह और

घायल गवाह और PW.39 गगनबिहारी मोहंती, आई. ओ. हैं। बचाव के लिए किसी गवाह से पूछताछ नहीं की गई। बड़ी संख्या में प्रदर्शनियाँ

अभियोजन पक्ष द्वारा Ext.1 से Ext.67/1 चलाने को प्रस्तुत किया गया था। Ext.A से Ext.J को भी बचाव पक्ष द्वारा साक्ष्य में स्वीकार किया गया था। एमओ. आई. से MO.VII भौतिक वस्तुएँ थीं। अभिलेख पर साक्ष्य एकत्र करने के बाद, विद्वत विचारण न्यायाधीश ने आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा

304 (भाग–II) के तहत दोषसिद्धि करते हुए पैराग्राफ 74 में अपना निष्कर्ष दर्ज किया जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

रात भर लंबे समय तक हिरासत में रखा और उसे बेरहमी से पीटा। अतः, यह स्पष्ट है कि ऐसी मृत्यु अभियुक्त व्यक्तियों के कृत्य के कारण हुई थी। उन्होंने अपनी आम बात को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया इरादा। मामले के तथ्यों से पता चलता है कि ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने का इरादा नहीं हो सकता है जिससे मृत्यु होने की संभावना हो। लेकिन तथ्यों से पता चलता है कि आरोपी व्यक्तियों को पता था कि उनके इस कृत्य से मौत होने की संभावना है। इसलिए, यह पाया गया है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 304 (भाग–II) आई. पी. सी. के तहत दंडनीय अपराध भी किया है।

कठाजोरी नदी के तटबंध पर लगभग 9 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मृतक पर हमले की घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन, जिसमें मृतक घायल हो गया था। मामला No.272/1985 अपीलार्थी मोहंती द्वारा दर्ज किया गया था, जिन्होंने अपीलार्थी चौधरी को मामले की जांच करने और केस डायरी बनाए रखने का निर्देश दिया था। अपनी याचिका की पुष्टि करने के लिए मामले No.272/1985 में प्राथमिकी के संबंध में साक्ष्य अपीलार्थी चौधरी द्वारा उक्त मामले में रखी गई केस डायरी को Ext.63 के रूप में चिह्नित किया गया था। 17. उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य को मार्शलिंग करने के बाद कहा है कि मृतक कासिनाथ नाइक द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिस पर 1985 का लालबाग पी. एस. मामला दर्ज किया गया था, उसमें कासिनाथ नाइक के हस्ताक्षर नहीं थे। मामले में No.272/1985 अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जो मामले को गलत होने का संकेत देती है। केस No.272/1985 में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट को किसी ने चुनौती नहीं दी। उच्च न्यायालय द्वारा की गई प्रासंगिक चर्चा पर ध्यान देना प्रासंगिक है जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

" पूर्वगामी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, बचाव पक्ष का निवेदन है कि मृतक पर हमले की कोई भी घटना रात लगभग 9 बजे काठाजोरी नदी के तटबंध पर हुई, जिसमें मृतक घायल हो गया और पुरीघाट पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने आया और तदनुसार, एफ. आई. आर.

पंजीकृत किया गया और अपीलार्थी प्रवत मोहंती के निर्देश के अनुसार, अपीलार्थी पी. के. चौधरी ने मामले की जांच शुरू की और Ext.63 के माध्यम से केस डायरी में सभी सही स्थितियों का उल्लेख करना स्वीकार्य नहीं है। मेरा मानना है कि मृतक ने पुरीघाट पुलिस थाने में रात 10 बजे आई. डी. 1 पर कोई एफ. आई. आर. प्रस्तुत नहीं किया था और उसके द्वारा एक झूठा एफ. आई. आर. प्रस्तुत किया गया था, जिस पर मृतक के जाली हस्ताक्षर हैं।

मृतक वीडियो Ext.A "।

वैज्ञानिक अधिकारी और रासायनिक रिपोर्ट भी पुलिस स्टेशन में हमले की पुष्टि करती है और अपीलार्थी उन चोटों के लेखक थे। निचली अदालत ने भी पूरे मामले को मार्शलिंग के बाद अपने फैसले में माना है। सबूत है कि मृतक काशीनाथ नाइक को पुलिस स्टेशन, पुरीघाट में दोनों अभियुक्तों द्वारा चोटें लगी थीं। साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर उच्च न्यायालय ने भी यही निष्कर्ष निकाला।

19. हमने निचली अदालत के साथ–साथ उच्च न्यायालय के फैसले का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है और मौखिक मध्यस्थता को स्वीकार किया है। नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा साक्ष्य के साथ –

साथ अभिलेख पर दस्तावेजी साक्ष्य का विश्लेषण जहां पी. डब्ल्यू. 1, जो सूचना देने वाला और चश्मदीद गवाह था, के साक्ष्य पर निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा सही विश्वास किया गया है।

अदालत ने इस तथ्य पर जोर दिया कि मृतक और मुखबिर दोनों शाम 7:30 बजे के बाद पुलिस स्टेशन पहुंचे और चौधरी और मोहंती ने उन्हें बेरहमी से पीटा। पुलिस स्टेशन के वरांडे को सुबह सफाईकर्मी द्वारा धोए जाने के बावजूद, वैज्ञानिक अधिकारी, जो पुलिस के पास गया स्टेशन को वरांडा में खून के धब्बे मिले।

20. पीडब्लू. 1 के साक्ष्य को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता था क्योंकि वह मृतक का प्रतिनिधि था। लंबी प्रतिपरीक्षा में, पीडब्लू. 1 को हिलाया नहीं जा सका और उनके खाते में पिटाई का सबूत दिया गया

पुलिस अधिकारियों द्वारा मृतक, यानी चौधरी और मोहंती पर विश्वास किया जाना चाहिए और उन पर भरोसा किया जाना चाहिए।

21. अब, हम आई. पी. सी. की धारा 324 के तहत अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देने वाले अपीलार्थियों के विद्वान वकील की दलीलों पर ध्यान दे सकते हैं।

आई. पी. सी. की धारा 324 में लिखा हैः

गोली चलाना, छुरा घोंपना या काटना, या कोई भी उपकरण जो अपराध के हथियार के रूप में उपयोग किया जाता है, मौत का कारण बन सकता है, या आग के माध्यम से या कोई भी गर्म पदार्थ, या किसी भी जहर या किसी भी संक्षारक पदार्थ के माध्यम से, या किसी भी विस्फोटक पदार्थ के माध्यम से या किसी भी पदार्थ के माध्यम से जो मानव शरीर के लिए हानिकारक है, निगलना, या रक्त में प्राप्त करना, या किसी भी जानवर के माध्यम से, दोनों में से किसी के कारावास से दंडित किया जाएगा।

एक अवधि के लिए जो तीन साल तक बढ़ सकती है, या

ठीक है, या दोनों के साथ। "

22. अपीलार्थियों के विद्वान वकील का जोर इस बात पर है कि केवल लाठी और लकड़ी के लाठी का उपयोग अपराध के हथियारों के रूप में किया गया था, जिनके उपयोग से मौत होने की संभावना नहीं कही जा सकती है। MO.IV एक बांस की लाठी थी और Mo.VII एक लकड़ी की लाठी थी। आई. पी. सी. की धारा 324 "अपराध के हथियार" की जाँच का उपयोग करती है। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि लकड़ी के लाठी और लाठी का उपयोग ऐसे हथियार हैं जिनसे मौत होने की संभावना नहीं है। लकड़ी की लाठी और लाठी वे हथियार हैं जो पुलिस के पास होते हैं और यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि चोट लकड़ी की लाठी और लाठी से नहीं हो सकती है जो मौत का कारण बन सकती है। यह लकड़ी के लाठी और बैटन के उपयोग के तरीके पर निर्भर करता है।

23. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि MO.IV और MO.VII

पहचान के लिए परीक्षण के दौरान पीडब्लू. 1 को नहीं दिखाया गया था। MO.IV और MO.VII को जब्त कर लिया गया और भौतिक वस्तुओं के रूप में प्रदर्शित किया गया। पी. डब्ल्यू. 1 को किसी भी तरह से MO.IV

और MO.VII दिखाने में अभियोजन की विफलता को अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं कहा जा सकता है। लकड़ी की लाठी और लाठी पुलिस बल के हथियार हैं और उन्हें चोटें लगी हैं।

जैसा कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा पाया गया है कि इन हथियारों से मृतक, पीडब्लू. 1 को न दिखाना, पीडब्लू. 1 के साक्ष्य की विश्वसनीयता पर महाभियोग नहीं चला सकता है।

24. अब, हम मृतक के शरीर पर पाए गए घावों को देखते हैं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्रदर्शनी–43 है। पीडब्लू। – 37 डॉ. देबेंद्र कुमार पटनायक ने पोस्टमार्टम किया था, जो अदालत में भी पेश हुए थे। मृतक के शरीर पर बाहरी चोटें इस प्रकार हैंः

" 1. दाएँ जांघ के निचले 1/3 पर पार्श्व की ओर 5 "x 3" के क्षेत्र में पैटर्न चोट और घर्षण।

2. दाहिने घुटने के नीचे दाहिने पैर 4 "के सामने दबाव घर्षण 2" x 2 "।

3. दाहिने पैर के मध्य भाग में दबाव घर्षण 1.1/2 "x 1/2"

2.1 / 2 " मध्य मालीओलस के ऊपर।

4. बाएँ पैर के सामने 10 "x 4" के क्षेत्र में बहु–दबाव घर्षण

3.1 / 2 " घुटने के नीचे।
5. हड्डी को शामिल किए बिना सामने बाएं घुटने के नीचे 1/5 "x 1/4% x गहरी त्वचा का घाव।

गुदा। 7. बाईं
कोहनी के जोड़ पर 2 "x 1" के क्षेत्र में दबाव घर्षण

पेक्ट के रूप में पश्चवर्ती।

8. के पार्श्व पक्ष पर 7 "x 5" के क्षेत्र में पैटर्न चोट

बायीं जांघ। 9.
दाहिने हाथ पर 20 "x 3" के क्षेत्र में 3 "से पैटर्न चोट

कोहनी के ऊपर से हथेली के पृष्ठ तक।

10. पीठ के बाईं ओर पैटर्न चोट 12 सेमी x 1 "आकार

स्कापुलियर क्षेत्र।

प्रवत चंद्र मोहंती बनाम। ओडिशा राज्य [अशोक भूषण, जे.]

11. बाईं ओर पीठ के बाईं ओर पैटर्न चोट 12 सेमी x 1 "

स्कैपुला क्षेत्र "।

25. निचली अदालत ने तैयार की गई जाँच रिपोर्ट पर भी दोषी ठहराया है

अभियुक्त पी. के. चौधरी द्वारा, अर्थात प्रदर्शनी–16। निचली अदालत ने साक्ष्य पर विचार करने के बाद निष्कर्षों को दुर्भावनापूर्ण तरीके से दर्ज किया है

अभियुक्त पी. के. चौधरी द्वारा प्रदर्शनी–16 में चोटों को दबाने के इरादे, चोटों के विवरण को कम किया गया है। हम नहीं हैं।

आई. पी. सी. की धारा 324 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है। हम, इस प्रकार, आई. पी. सी. की धारा 324 के तहत अभियुक्त की दोषसिद्धि की पुष्टि करते हैं। 26. अब, हम उस निवेदन पर आते हैं, जिस पर अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा बहुत दबाव डाला गया है, अर्थात, अपराध की संरचना

आईपीसी की धारा 324। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 320 में अपराध के चक्रवृद्धि का प्रावधान है। धारा 320 की उप–धारा (1) में एक तालिका है जिसे तालिका के तीसरे कॉलम में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा संयोजित किया जा सकता है जबकि धारा 320 की उप–धारा (2) में प्रावधान हैः

" 320 ( 2 ) . भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धाराओं के तहत दंडनीय अपराध, जो अगली तालिका के पहले दो स्तंभों में निर्दिष्ट हैं, न्यायालय की अनुमति से हो सकते हैं। जिसे इस तरह के अपराध के लिए कोई अभियोजन लंबित है, उस तालिका के तीसरे कॉलम में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा जोड़ा जाएगा।

27. धारा 320 की उप–धारा (5) निम्नानुसार प्रदान करती हैः

" 320 ( 5 ) . जब अभियुक्त मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध हो गया हो या जब उसे दोषी ठहराया गया हो और एक अपील लंबित हो, तो कोई रचना नहीं है। क्योंकि अपराध की अनुमति उस न्यायालय की अनुमति के बिना दी जाएगी जिसके लिए वह प्रतिबद्ध है, या, जैसा भी मामला हो, जिसके समक्ष –

अपील पर सुनवाई होनी है।

शमनीय अपराध। उपरोक्त संशोधन से पहले, धारा 324 के तहत अपराध शमनीय था। अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने अपनी दलीलों में सही कहा है कि जिस तारीख को अपराध किया गया था, यानी 04/आई. पी. सी. की धारा 324 के तहत अपराध था। कम्पाउंडेबल। इस प्रकार, हमें इस बात की जांच करने की आवश्यकता है कि क्या वर्तमान मामले में, अपीलार्थियों का अनुरोध जिस पर विद्वान वकील

29. वर्तमान मामले के तथ्यों में धारा 324 के तहत अपराध को केवल अदालत की अनुमति से ही बढ़ाया जा सकता है। धारा 320 की उप–धारा (5) में प्रावधान है कि "न्यायालय की अनुमति के बिना अपराध के लिए किसी भी संयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी"। इस प्रकार, वर्तमान मामले के तथ्यों में अपराध की

संरचना केवल अपीलार्थी के अनुरोध पर समझौते पर अनुमेय नहीं है जिसे मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा भी स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन संरचना केवल निम्नलिखित द्वारा अनुमेय है – न्यायालय की अनुमति।

30. धारा 320 की उप–धारा (5) द्वारा अनुध्यात अवकाश का अनुदान स्वचालित नहीं है और न ही इसकी प्राप्ति पर यांत्रिक होना चाहिए।

अपीलार्थी द्वारा अनुरोध जिस पर पीड़ित सहमत हो सकता है। वैधानिक आवश्यकता, न्यायालय का यह स्पष्ट कर्तव्य बनाती है कि वह अपराध की प्रकृति और साक्ष्य पर गौर करे और खुद को संतुष्ट करे कि अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। आपराधिक न्याय के प्रशासन के लिए राज्य द्वारा सभी अपराधियों पर मुकदमा चलाने की आवश्यकता होती है। 31. राज्य द्वारा अभियोजन कानून की नीति है क्योंकि सभी अपराध समाज के खिलाफ हैं। समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों को अदालतों में लाना पड़ता है और अपने अपराधों के लिए दंडित करना पड़ता है। अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि कोई भी अपराधी अपराध के लिए दंडित किए बिना रिहा न हो जाए। यह कानून का स्थापित सिद्धांत भी है कि निर्दोष को दंडित नहीं किया जाना चाहिए।

32. सवाल यह उठता है कि अपराध की संरचना के लिए न्यायालय की अनुमति देते समय, न्यायालय के लिए क्या मार्गदर्शक कारक है

या अपराध की रचना के लिए अनुमति देने से इनकार कर दें। अपराध की प्रकृति और समाज पर इसका प्रभाव न्यायालय द्वारा अपराध को बढ़ाने के लिए अनुमति देते समय प्रासंगिक विचार हैं। सामान्य रूप से जनता को प्रभावित करने वाले और सामान्य रूप से जनता में भय पैदा करने वाले अपराध गंभीर अपराध हैं, जिनकी प्रकृति का अपराध अदालत के लिए छुट्टी देने या अस्वीकार करने के लिए प्रासंगिक विचार हो सकता है। जब हम अभिलेख पर साक्ष्य को एकत्र करने के बाद निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को देखते हैं, तो यह स्थापित होता है कि दोनों अभियुक्तों ने पुलिस स्टेशन के परिसर में मृतक को बेरहमी से पीटा है। अभियुक्त द्वारा मृतक के शरीर पर ग्यारह चोटें लगायी गयीं। पीडब्लू–1 के साक्ष्य के अनुसार, जिस पर न्यायालय ने विश्वास किया है, प्रवत चंद्र मोहंती नीचे, पीड़ित को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि वह शौच, पेशाब से गुजर गया और खून बहने लगा।

33. हम नागपुर उच्च न्यायालय के एक खंड पीठ के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं जो प्रांतीय सरकार, केंद्रीय प्रांतों और

बरार बनाम बिपिन सिंह चौधरी, आकाशवाणी (1945) नागपुर, अवध, पेशावर और सिंध 104, जहां डिवीजन बेंच में न्यायमूर्ति शामिल थे।

विवियन बोस (जैसा कि वे उस समय थे) को दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 345 के प्रावधानों पर विचार करने का अवसर मिला था, जो धारा 320 Cr.P.C के समान सामग्री प्रावधान हैं। उपरोक्त मामले में, सरकार ने एक अपील दायर की थी जिसमें धारा 345 (2) Cr.P.C के तहत मंजूरी दी गई थी। उस मामले में प्रतिवादी आरोपी को धोखाधड़ी का दोषी पाया गया था। उसने एक वादी को धोखा दिया था। अभियुक्त उच्च न्यायालय में क्लर्क था। उसने शिकायतकर्ता को रुपये देने के लिए उकसाया। 2,000 / – यह कहते हुए कि अभियुक्त इसे शिकायतकर्ता के मामले के प्रभारी न्यायाधीशों में से एक को रिश्वत के रूप में सौंप देगा। विद्वान मजिस्ट्रेट ने यह कहते हुए मंजूरी दी है कि शिकायतकर्ता और आरोपी दोस्त थे और उनके मैत्रीपूर्ण संबंधों को बिगाड़ना दया की बात होगी, जिससे बड़े पैमाने पर जनता चिंतित नहीं है और जिसमें वे रुचि नहीं रखते हैं।

34. उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने मजिस्ट्रेट द्वारा लिए गए विचार से असहमति व्यक्त की। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह मामला बहुत बड़ी सार्वजनिक चिंता का विषय है। डिवीजन बेंच ने उपरोक्त मामले में निम्नलिखित निर्णय दियाः –

" ..... हालाँकि, मामला तब और बढ़ जाता है जब हम पाते हैं कि जिस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसने धोखाधड़ी की है, वह कंपनी का क्लर्क है।

अदालत। न्यायालय से जुड़े सभी लोक सेवक न्यायालय के सम्मान और अखंडता के न्यासी और संरक्षक होते हैं। यह गंभीर महत्व का विषय है यदि उनमें से कोई भी उन लोगों से अवैध संतुष्टि निकालने या धन उगाही करने का प्रयास करता है जो इस तक पहुंच चाहते हैं।

अदालतें, या उन्हें गुमराह करने का प्रयास करती हैं और अपने पद का दुरुपयोग करके खुद को समृद्ध करने की कोशिश करती हैं। जीवन के इस वर्ग के व्यक्तियों को आम अज्ञानी जनता द्वारा प्रभावशाली और कुछ अधिकार वाले व्यक्तियों के रूप में देखा जाता है। इसलिए यदि वे उस विश्वास की स्थिति का दुरुपयोग करते हैं जिसमें उन्हें उनके पद के कारण रखा गया है, तो यह बहुत बड़ी सार्वजनिक चिंता का विषय बन जाता है। हमारी राय में, अन्यथा विचार करना विकृत है। अगर कभी ऐसा कोई मामला था जिसमें रचना को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए था, तो यह ऐसा मामला है। "[2021] 4 एस. सी. आर.

35. निर्णय का अनुपात यह है कि यदि सार्वजनिक पद पर बैठे लोग अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, तो यह बहुत बड़ी सार्वजनिक चिंता का विषय बन जाता है।

हम नागपुर उच्च न्यायालय के उपरोक्त दृष्टिकोण का पूरी तरह से समर्थन करते हैं।

36. वर्तमान में एक ऐसा मामला है जिसमें अपराध पुलिस स्टेशन, पुरीघाट के प्रभारी के साथ–साथ वरिष्ठ निरीक्षक द्वारा किया गया था।

उसी पुलिस स्टेशन में तैनात। राज्य की पुलिस कानून और व्यवस्था की रक्षक है। लोग अपने जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए पुलिस की प्रतीक्षा करते हैं। लोग इस उम्मीद के साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं कि उनके व्यक्ति और संपत्ति की पुलिस और अन्याय द्वारा रक्षा की जाएगी और उन पर किए गए अपराध का निवारण किया जाएगा और दोषियों को दंडित किया जाएगा। जब लोगों और स्वयं समाज का रक्षक लोगों की रक्षा करने के बजाय क्रूरता को अपनाता है और थाने में आने वाले व्यक्ति को अमानवीय रूप से पीटता है, तो यह बहुत बड़ी सार्वजनिक चिंता का विषय है। पुलिस स्टेशन में किसी व्यक्ति की पिटाई सभी के लिए चिंता का विषय है और पूरे समाज में भय की भावना पैदा करती है।

37. हम यशवंत और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2019) 18 एस. सी. सी. 571 में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं, जहां यह

अदालत ने कहा कि जब पुलिस उस कानून का उल्लंघन करती है जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी कानून की रक्षा करना है, तो इस तरह के उल्लंघन के लिए सजा आनुपातिक रूप से कड़ी होनी चाहिए ताकि प्रभावी निवारक प्रभाव हो और समाज में विश्वास पैदा हो। पैराग्राफ में निम्नलिखित उल्लेख किया गया था

" 34. चूँकि इस मामले में पुलिस कानून का उल्लंघन करने वाली होती है, जिनके पास कानून की रक्षा करने और उसे बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, जिससे इस तरह के उल्लंघन के लिए सजा को आनुपातिक रूप से सख्त होना अनिवार्य हो जाता है ताकि प्रभावी निवारक प्रभाव और प्रेरणा हो सके।

समाज में विश्वास। यह याद दिलाना संदर्भ से बाहर नहीं हो सकता है कि महाराष्ट्र राज्य पुलिस का आदर्श वाक्य "सद्रक्ष्नय खलनिग्रहणय" (संस्कृतः "सद्रक्ष्नय खलनिग्रहणय") है। अच्छाई की रक्षा करने और बुराई को दंडित करने के लिए), जिसका सम्मान करने की आवश्यकता है। जिन लोगों से आपराधिक कानून का प्रशासन करने का आह्वान किया जाता है, उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि उनका कर्तव्य न केवल उनके सामने व्यक्तिगत अभियुक्त के प्रति है, बल्कि राज्य और बड़े पैमाने पर समुदाय के प्रति भी है। पुलिस से जुड़ी ऐसी घटनाएं आमतौर पर हमारे आपराधिक न्याय में विश्वास को कम करती हैं।

निजी से जुड़ी उन घटनाओं की तुलना में प्रणाली बहुत अधिक है

व्यक्तियों। लागू करते समय हमें इस पहलू को भी ध्यान में रखना चाहिए।

इसमें अभियुक्त को उचित सजा दी जाए। प्रवत चंद्र मोहंती बनाम।

38. जैसा कि ऊपर उद्धृत टिप्पणियाँ वर्तमान मामले के तथ्यों से पूरी तरह आकर्षित होती हैं। इस प्रकार, हमारी यह सुविचारित राय है कि वर्तमान एक ऐसा मामला है जिसमें इस न्यायालय को आई. पी. सी. की धारा 324 के तहत अपराधों को बढ़ाने के लिए अनुमति नहीं देनी है, जैसा कि अपीलार्थियों के वकील द्वारा अनुरोध किया गया है। वर्तमान एक ऐसा मामला है जहाँ आरोपी जो पुलिस थे अधिकारी, जिनमें से एक स्टेशन का प्रभारी था और अन्य वरिष्ठ निरीक्षक ने स्वयं मृतक को बेरहमी से पीटा, जिसकी उसी रात मृत्यु हो गई। उनके अपराधों को अदालत द्वारा उप–धारा (5) के साथ पठित धारा 320 (2) के प्रयोग में बढ़ाया नहीं जा सकता है। हम, इस प्रकार, अपराध को बढ़ाने के लिए अपीलार्थियों की प्रार्थना को अस्वीकार करते हैं।

39. इस न्यायालय द्वारा 17.12.2020 पर पारित आदेश से, इस न्यायालय ने अपीलार्थियों के वकील के प्रस्तुत करने पर ध्यान दिया है।

कि वे मृतक के परिवार को मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। अदालत ने उक्त बयान को ध्यान में रखते हुए मामले में नोटिस जारी किया था। अपीलकर्ताओं ने रुपये की राशि भी जमा की है। 3. 5 लाख प्रत्येक की पेशकश के अनुसार उनके वकील ने दिनांकित 17.12.2020 आदेश में दर्ज किया।

40. मृतक पर हिरासत में की गई हिंसा जिसके कारण उसकी मौत हुई, घृणित है और सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। अपराध

अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध न केवल मृतक के खिलाफ अपराध है, बल्कि यह मानवता के खिलाफ और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। हालांकि उच्च न्यायालय ने मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों के पक्ष में 3 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। हमारा विचार है कि दिया गया मुआवजा पर्याप्त नहीं था।

41. हम आगे ध्यान दे सकते हैं कि इस न्यायालय ने यह विचार लिया है कि

यहां तक कि जब अपराध के चक्रवृद्धि के लिए अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाता है, तब भी न्यायालय उचित मामले में सजा के प्रश्न पर विचार कर सकता है। हम गुलाब दास और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2011) 10 एस. सी. सी. 765 का उल्लेख कर सकते हैं। उपरोक्त मामले में, अदालत ने अपराध को बढ़ाने

से इनकार कर दिया, लेकिन अदालत ने सजा के सवाल में हस्तक्षेप करने के लिए आगे बढ़ गए। पैराग्राफ 10 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः

" 10. यह कहने के बाद, हमारा विचार है कि पक्षकारों के बीच हुए समझौते/समझौते को अपीलार्थियों को दी जाने वाली सजा की मात्रा निर्धारित करने के उद्देश्य से विचार में लिया जा सकता है। ठीक यही दृष्टिकोण है जो इस न्यायालय ने ऊपर उल्लिखित मामलों में अपनाया है। भले ही रचना के लिए प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया हो [2021] 4 एस. सी. आर.

इस न्यायालय ने ऊपर वर्णित दो मामलों में सजा के प्रश्न पर विचार करते समय पक्षों के बीच समझौते के तथ्य को ध्यान में रखा है। इस तथ्य के अलावा कि एक समझौता

दलों के बीच हुआ है, कुछ अन्य हैं

परिस्थितियाँ जो हमें इस प्रश्न पर हस्तक्षेप करने के लिए राजी करती हैं

अपीलार्थियों को दी गई सजा। 99 '

42. इसी प्रभाव के लिए ईश्वर सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2008) 15 एस. सी. सी. 667 में इस न्यायालय का एक और निर्णय है।

पैराग्राफ 12,13 और 14 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः

" 12. अब, यह नहीं कहा जा सकता है कि आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध शमनीय अपराध नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 320 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी अपराध को चक्रवृद्धि नहीं किया जाएगा यदि यह दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शमनीय नहीं है।

कोड। लेकिन साथ ही, ऐसे मामलों से निपटने के दौरान,

यह न्यायालय एक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रख सकता है।

पक्षकारों के बीच समझौते पर विचार

सजा कम करने का उद्देश्य।

13. जेठा राम बनाम। राजस्थान राज्य, मुरुगेसन बनाम। गणपति वेलार और ईश्वरलाल बनाम। एम. पी. का राज्य इस न्यायालय,

पक्षकारों के बीच समझौते के तथ्य को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी–अभियुक्त पर लगाए गए दंड को घटाकर पहले ही चुका दिया गया, हालांकि अपराध शमनीय नहीं थे। लेकिन यह भी कहा गया था कि महेश चंद बनाम। राजस्थान राज्य को इस तरह के अपराध को और बढ़ाने का आदेश दिया गया था।

14. हमारी सुविचारित राय में, सांविधिक प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए और अलग रखते हुए संहिता के तहत शमनीय नहीं होने वाले अपराध के चक्रवृद्धि का आदेश देना उचित नहीं होगा। हालाँकि, हमारे निर्णय में, अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील की सीमित प्रस्तुति इस बात पर विचार करने योग्य है कि ठोस सजा देते समय, पक्षों के बीच समझौते का तथ्य वास्तव में एक प्रासंगिक तथ्य है।

ऐसी परिस्थिति जिसे न्यायालय ध्यान में रख सकता है।

43. इन तथ्यों को देखते हुए कि दोनों अपीलकर्ताओं की आयु अब 75 वर्ष से अधिक है, हमारी राय है कि आई. पी. सी. की धारा 324 के तहत दोषसिद्धि के लिए दी गई सजा को एक साल के बजाय छह महीने तक कम करने में न्याय किया जाए। इसके अलावा कानूनी

मृतक के उत्तराधिकारियों को उस मुआवजे द्वारा मुआवजा दिया जा सकता है जो अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत और जमा किया गया है।

एक साल की सजा को घटाकर छह महीने कर दिया जाता है। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे के अलावा प्रत्येक मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी को साढ़े तीन लाख रुपये दिए जाएंगे। इस न्यायालय में जमा किया गया मुआवजा निचली अदालत को भेजा जाएगा जो उसी का भुगतान कर सकता है

मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी। हमारे सामने हलफनामा दायर किया गया है कि मृतक के चार बेटे थे, उसकी पत्नी मर चुकी है, पूरी राशि दो जीवित बेटों और दो मृतक के उत्तराधिकारियों को समान रूप से वितरित की जाए।

बेटों।

44. नतीजतन, अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है। एक वर्ष की आई. पी. सी. की धारा 324 के तहत अपीलार्थियों को दी गई सजा घटाकर छह कर दी गई है। मुआवजे को बढ़ाकर एक लाख रुपये करने के साथ महीने। उच्च न्यायालय द्वारा मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को दिए जाने वाले मुआवजे के अलावा प्रत्येक को साढ़े तीन लाख रुपये दिए जाएंगे। कानूनी उत्तराधिकारियों को मुआवजे का भुगतान ऊपर दिए गए निर्देश के अनुसार किया जाना चाहिए।

अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।